आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक एवं दिनांक
12-05-22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील आवेदक ने प्रकरण में निवेदन किया कि प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 31.03.2021 को जारी की गई है, जिसको तादौराने मूल वाद के निस्तारण तक कंफर्म किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। प्रकरण में ता दावा निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा को कंफर्म किया जाना न्यायोतिच एव उचित प्रतीत होता है। अतः न्यायालय के आदेश दिनांक 31.03.2021 को अंतरिम अस्थाई आदेश को मूल वाद के निस्तारण तक कंफर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाक तकमील मूल वाद के साथ हमफीता की जावे। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। ए.सी.ई.एम. (का.दे.) नवलगढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:23:31 IST
Reason: SelfAttested